न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : श्री अजय कुमार आर्य, आर.ए.एस

अपील संख्या 94/2022

उम्मेद पुत्र झब्बुराम, जाति जाट, उम्र 62 वर्ष, निवासी ग्राम ढाणी राधू, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू। —अपीलान्ट—

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू।

—रेस्पोडेन्ट—

प्रथम अपील अ. धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ आदेश दिनांक 16.05.2018 बअदालत तहसीलदार/नायब तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू द्वारा आपसी सहमति से खाता विभाजन प्रार्थना पत्र संख्या 09/16.05.2018 अ0धारा 53(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत पारित गलत आदेश के खिलाफ।

उपस्थितिः—

1. श्री रविन्द्र लाम्बा.....अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अधिवक्ता.....रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक : 26.5.25

पत्रावली पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि ढाणी राधू पटवार हलका बड़बर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू के खाता संख्या 3 के खसरा संख्या 3, 4, 12, 36, 37 के संबंध में अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष आपसी सहमति से खाता विभाजन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 13.05.2018 को रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की गई। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर अदालत मातहत ने दिनांक 16.05.2018 को आदेश पारित किया तथा नाजायज जल्दबाजी करते हुए नामान्तकरण संख्या 137 दिनांक 28.06.2018 स्वीकृत कर उसे राजस्व रिकार्ड में भी दर्ज कर दिया गया। दिनांक 16.05.2018 को अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश में अनेक त्रुटियां रह गई

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

थी मसलन मौके पर कब्जे काश्त अनुसार नाम दर्ज नही किया गया, मौके पर स्थित भूमि दर्ज माप से कम हो रही है, गलत रूप से रास्ता दर्ज कर लिया गया क्योंकि उक्त रास्ता मौके पर स्थित कुएं व राज्य सरकार द्वारा निर्मित पानी के कुण्ड के मध्य से जाता है, जिस रास्ते पर पक्षकारों के मध्य सहमति बनी थी उससे अलग पटवारी व तहसीलदार ने जो रास्ता तय किया है वह खेत में स्थित मकानों के बीचों–बीच से होकर जाता है, आदि। इससे आहत होकर अपीलान्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष विधिवत आपत्ति भी प्रस्तुत की गई। जिस पर अदालत मातहत ने हलका पटवारी को मौके अनुसार पुनः खाता विभाजन प्रस्ताव तैयार कर खाता विभाजन हेतु दिनांक 04.07.2019 को प्रस्तुत करें। जिस पर हलका पटवारी द्वारा रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई थी जो अपीलान्ट को भी स्वीकार्य थी। जिसका क्रमांक पी–35/5838 दिनांक 08.06.2019 है तथा दिनांक 08.07.2019 को उक्त विभाजन प्रस्ताव अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत भी कर दिया गया था। परन्तु तहसील प्रशासन की अनैतिक कार्यशैली व अनैतिक राजनेतिक दवाब के चलते तथा किसी अन्य को फायदा दिलाकर अपीलांट को हानि पंहुचाने हेतु उक्त विभाजन प्रस्ताव को राजस्व रिकार्ड में आलौच्य नामान्तकरण संख्या 137 दिनांक 28.06.2018 के स्थान पर दर्ज नही किया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.05.2018 तथा नायब तहसीलदार बुहाना के आदेश 09/2018 को खारिज किया जाकर अदालत मातहत को निर्देशित किया जावे कि पक्षकारान की आपसी सहमति के अनुसार खाता विभाजन कर अलग से खाता कायम किया जावे।

अपील न्यायालय में प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट को नोटिस भेजकर तामील की गई। मिसल मातहत तलब की जाकर बहस सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि न्यायालय तहसीलदार बुहाना के समक्ष अपील में विचाराधीन आलौच्य नामान्तकरण संख्या 137 दिनांक 16.05.2018 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने पर योग्य न्यायालय द्वारा हलका पटवारी को मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार पुनः सहमति से विभाजन हेतु प्रस्ताव तैयार आदेशित किया गया जिस पर हलका पटवारी द्वारा पुनः विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत भी किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि प्रकरण में विवादित नामान्तकरण विधि सम्मत् तरीके से स्वीकार नही किया गया है तथा अपीलांट द्वारा समय पर अदालत मातहत के समक्ष आपत्ति भी प्रस्तुत की गई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.05.2018 तथा नायब तहसीलदार बुहाना के आदेश 09/2018 को खारिज किया जाकर अदालत मातहत को निर्देशित किया जावे

अतिरिक्त जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

कि पक्षकारान की आपसी सहमति के अनुसार खाता विभाजन कर अलग से खाता कायम किया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणागुण का प्रश्न है प्रस्तुत प्रकरण में मिसल अधीनस्थ न्यायालय के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष आपत्ति दर्ज करवाई गई है जिस पर हलका पटवारी को पुनः सहमति से कब्जा–काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया है तथा हलका पटवारी द्वारा पुनः विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत भी किया गया है। विचारण न्यायालय ने विभाजन प्रस्ताव के अनुसार नामान्तकरण स्वीकार नही खोलकर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण को धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में प्रदत्त प्रावधानों के आलौक में अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.05.2018 बअदालत तहसीलदार/नायब तहसीलदार बुहाना द्वारा आपसी सहमति से खाता विभाजन प्रार्थना पत्र संख्या 09 दिनांक 16.05.2018 अ.धारा 53(2) राज. काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पारित नामान्तकरण संख्या 137 निरस्त कर पत्रावली इस आशय से तहसीलदार बुहाना की भिजवाई जाती है कि प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनते हुए अग्रिम कार्यवाही करे। निर्णय की प्रति मय मिसल अग्रिम कार्यवाही हेतु तहसीलदार बुहाना को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.5.25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजय कुमार आर्य)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनू।